प्रेस नोट
दिनांक 08.12.2025

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा बलवा एवं जानलेवा हमला करने के 04 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मनकापुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0–437/2025, धारा 191(2),191(3),109(1),115(2),352,351(3) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्तगण–01. खुशीराम पुत्र वंशीलाल, 02. महेन्द्र पुत्र वंशीलाल, 03. अगनू पुत्र स्व0 छक्कन, 04. पण्डित उर्फ दयाशंकर पुत्र अगनू को वगररिया भिटौरा से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 29.09.2025 समय वादी पवन सिंह निवासी पचपुती जगतापुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि व अपने साथी के साथ मनकापुर बाजार जा रहा था कि देवरहना सुक्खु पुरवा के पास विपक्षी अंकित पुत्र सुक्खु से मोटरसाइकिल टकराने पर कहासुनी हुई। इसी दौरान विपक्षीगण अंकित, पंडित, संचित, अगनू, खुशीराम, महेन्द्र तथा अन्य लोग कुल्हाड़ी, कुदाल, लाठी–डण्डा लेकर आ गए और गाली–गलौज करते हुए हमला कर दिया। हमले में प्रार्थी के भाई प्रवीन सिंह को कुल्हाड़ी के वार से गंभीर चोटें आयी है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मनकापुर में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें पूर्व में एक आरोपी अभियुक्त अंकितक पुत्र सुक्खू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज दिनांक 08.12.2025 को थाना मनकापुर पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त अन्य आरोपी अभियुक्तगण–01. खुशीराम पुत्र वंशीलाल, 02. महेन्द्र पुत्र वंशीलाल, 03. अगनू पुत्र स्व0 छक्कन, 04. पण्डित उर्फ दयाशंकर पुत्र अगनू को वगररिया भिटौरा से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. खुशीराम पुत्र वंशीलाल, नि0 ग्राम देवरहना जोखूपुरवा, पचपुती जगतापुर, थाना को0 मनकापुर, जनपद गोण्डा।
02. महेन्द्र पुत्र वंशीलाल, नि0 ग्राम देवरहना जोखूपुरवा, पचपुती जगतापुर, थाना को0 मनकापुर, जनपद गोण्डा।
03. अगनू पुत्र स्व0 छक्कन, नि0 ग्राम देवरहना जोखूपुरवा, पचपुती जगतापुर, थाना को0 मनकापुर, जनपद गोण्डा।
04. पण्डित उर्फ दयाशंकर पुत्र अगनू, नि0 ग्राम देवरहना जोखूपुरवा, पचपुती जगतापुर, थाना को0 मनकापुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–437/2025, धारा 191(2),191(3),109(1),115(2),352,351(3) बीएनएस थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. उ0नि0 प्रदीप सिंह सेंगर।
02. उ0नि0 लालजी।

03. हे0का0 सुरेश कुमार गुप्ता।
04. हे0का0 प्रमोद कुमार सिंह।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 08.12.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा धोखाधड़ी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–538/25, धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों–01. आनन्द कुमार पुत्र राघवराम ग्राम बिजली भवानी बनघुसरा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा, 02.रामगोपाल पुत्र भगौती प्रसाद नि0 हारीपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा को मदरसा चौराहा मोड़, खालेपुरवा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 28.11.2025 को प्रार्थिनी श्रीमती विद्यावती देवी निवासी टेपरा, मौजा भगहर बुलंद, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी आनन्द कुमार पुत्र राघवराम ने प्रार्थिनी की जगह किसी अज्ञात महिला को खड़ा कर उसकी भूमि गाटा सं. 518 से 0.0890 हे० का फर्जी बैनामा कराया गया है। उक्त बैनामा में रमेश पुत्र जमुना प्रसाद एवं रामगोपाल पुत्र भगौती प्रसाद ने जानबूझकर गवाह बनकर फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में सहयोग किया है। वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 08.12.2025 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्तगण–01. आनन्द कुमार पुत्र राघवराम, 02.रामगोपाल पुत्र भगौती प्रसाद को मदरसा चौराहा मोड़,खालेपुरवा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. आनन्द कुमार पुत्र राघवराम ग्राम बिजली भवानी बनघुसरा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. रामगोपाल पुत्र भगौती प्रसाद नि0 हारीपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–538/25, धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. अति0प्र0नि0 श्री संतोष कुमार सिंह।
02. उ0नि0 गोलू तिवारी।
03. हे0का0 शौकत अली।
04. का0 देवनाथ।

मीडिया सेल, गोण्डा।